पूर्व मध्य रेल
सोनपुर मंडल
अधिसूचना

सं0 :-सी/407/विविध/एस.टी.बी.ए./2025

दिनांक 21.08.2026

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य),पूर्व मध्य रेल, सोनपुर कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से सोनपुर मंडल के निम्न स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर 04 स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर तीन वर्षो के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट के चयन के लिए यह खुली निविदा पद्धति है। स्टेशन की सूची निम्नवत है:-

क्रम सं	स्टेशन
1.	हरनौली फ़तेहपुर (NSG-6)
2.	नंदनी लगुनिया (NSG-6)
3.	तुर्की (NSG-6)
4.	उमेशनगर (NSG-6)

एस0टी0बी0ए की खुली निविदा पद्धति का नियम एवं शर्त निम्न प्रकार है :-

सभी स्टेशनों पर कम्प्युटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बिक्री हेतु पूर्णरूपेण कमीशन आधारित 'स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट' के चयन हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है । अभ्यर्थीयो द्वारा निर्धारित आवेदन के प्रोफार्मा में निर्धारित स्थान पर अपने नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाते हुए आवेदन किया जाना है एवं एक अतिरिक्त फोटो आवेदन के साथ संलग्न करना है ।

पात्रता की शर्ते (Eligibility Criteria)- एक अभ्यर्थी मात्र एक स्टेशन पर 'स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट'(एस.टी.बी.ए) के लिए आवेदन कर सकते हैं । चयनित एजेन्ट को 24 घंटे अनारक्षित टिकट बिक्री करने होंगे । चयनित एजेंट स्वयं के खर्चे पर सहयोगियों को रख सकते हैं। सहयोगी रखने हेतु एजेंट को सहयोगी के सारे दस्तावेज जो एजेंट को चयन के समय लगते हैं जमा करने होंगे, सक्षम अधिकारी के अनुमोदनपरांत सहयोगी रखा जा सकेगा।

1. अभ्यर्थी के आवेदन के साथ निवास प्रमाण-पत्र संलग्न होना अनिवार्य है । आवेदक को उसी जिला का निवासी होना अनिवार्य है, जिसमें आवेदन किए गए एस.टी.बी.ए. स्टेशन स्थित हो। यह प्रमाण पत्र SDM/BDO/CO किसी एक से जारी होने चाहिए।

2. किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वी उर्तीण होना अनिवार्य है तथा आवेदन के समय आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नही होना चाहिए । मान्यता प्राप्त बोर्ड का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है ।

3. अग्रधन राशि के रूप में NSG-6 हेतु 2000/-(दो हजार) एवं NSG-5 हेतु 5000/-(पाँच हजार) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो FA&CAO, E.C.Railway, Hajipur के नाम से देय होगा तथा हाजीपुर में भुगतेय होना चाहिए। अग्रधन राशि के रूप में देय डी0डी0 आवेदक के नाम खाते द्वारा ही बना होना चाहिए। यह राशि आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। उक्त डी0डी0 के बिना आवेदन रद्द माना जायेगा।

4. आवेदन के साथ एक घोषणा पत्र भी आवेदक को देना होगा कि अन्य किसी स्टेशनों पर उनका चयन एस.टी.बी.ए के रूप में नहीं किया गया है ।

5. निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में रू0 2000 (दो हजार) का डीडी जो FA & CAO, E.C.Railway, Hajipur के नाम से देय होगा तथा हाजीपुर में भुगतेय होना चाहिए । उक्त डी0डी0 के बिना आवेदन रद्द माना जायेगा ।

6. चयनित आवेदक को कार्यादेश निर्गत करने के पहले NSG-6 हेतु रुपये 10,000/- (दस हजार) तथा NSG-5 हेतु रूपये 25,000/-(पचीस हज़ार) जमानत राशि के मद में UTS टिकट जो उसी स्टेशन से जारी होना चाहिए जहाँ का आवेदक आवेदन दे रहा है।

7. एस0टी0बी0ए को दिये जाने वाले अधिकतम कमीशन निम्नवत है। यह कमीशन गणना निम्न अनुसार किये जायेंगे । जो आवेदक सभी नियमों तथा आहर्ता को पूरा करते हैं तथा जो रूपये 100000/-(एक लाख) से अधिक मासिक टर्न ओभर में (4%) से कम कमीशन का ऑफर देंगे, का चुनाव निविदा समिति द्वारा किया जायेगा (अनुलग्नक-1 का मद संख्या 11 को देखें)।

Sale turnover in Rs.	Rate at which commission payable
1-20,000	25%(Subject to minimum of Rs. 2500/-)
20,001-1,00,000	15%
>1,00,000	4% or the rate quoted whichever is lower.
प्राधिकार	रेलवे बोर्ड के पत्रांक सं0 2018/TG-I/20/P/STBA Dated 22.02.2022

नोट:- यदि कोई आवेदक स्लैब 3 में उप-शून्य (Sub-Zero) कमीशन का ऑफर देते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

कमीशन नेट बिक्री पर दिया जायेगा और रियायती टिकटों के मामलों में से वास्तविक किराया पर दिया जायेगा । यह कमीशन (रेलवे बोर्ड के पत्रांक 99/TG-IV/Halt/Policy Dated 08.09.2000) के अनुरूप हाल्ट एजेन्ट को दिये जाने वाले कमीशन के अनुरूप गणना किये जाऐगें । यदि एक से अधिक आवेदक द्वारा समान दर उद्धृत किया जाता है तब पारदर्शी तरीके से आवेदको के समक्ष लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को अपने चरित्र के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जमा करना होगा। किसी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर इनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

9. निविदा की अवधि तीन वर्ष की होगी तथापि 30 दिनों की पूर्व सूचना पर किसी भी समय निविदा को किसी भी पक्ष द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।

10. चयन हो जाने के उपरांत यदि एस0टी0बी0ए0 द्वारा काउन्टर संचालित करने में असमर्थता व्यक्त किया जाता है , तो उसके द्वारा जमा की गयी हर प्रकार की राशि जब्त कर ली जाएगी और निर्धारित प्रकिया के अनुसार रेल खाते में जमा करा दिया जाएगा ।

11. स्टेशन टिकट बुकिगं एजेन्ट चयन प्रक्रिया में निति के अनुसार एम0सी0/एम0टी0 अथवा ओ0बी0सी0 अथवा अन्य के लिए आरक्षण कोटा का प्रावधान नही है।

12. निविदा प्रपत्र मंडल रेल प्रबंधक(वाणिज्य) कार्यालय, सोनपुर से निर्धारित मूल्य के डी0डी0 जमा कर दिनांक 31.08.2026 से 23.09.2026 तक कार्यालय खुले अवधि में किसी भी कार्य दिवस में एवं 24.09.2026 को 12:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । निर्धारित मूल्य के डी0डी0 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से FA & CAO, E.C.Railway, Hajipur के पक्ष में देय होगा तथा हाजीपुर में भुगतेय होना चाहिए । निविदा प्रपत्र इन्टरनेट से भी डाउनलोड कर निर्धारित मूल्य के डी0डी0 के साथ जमा किया जा सकता है ।

योजना की प्रकिया :-

1. हार्डवेयर एवं सॉफट्वेयर (रख-रखाव सहित) बिजली एवं चैनल का खर्चा रेल द्वारा वहन किया जायेगा। रेल द्वारा उन्हें नि:शुल्क जगह दिया जायेगा ।

2. एम.टी.बी.ए संविदा से होने वाले किसी अधिकार या दायित्व को किसी को सबलेट या स्थानान्तरित नहीं करेंगे । संवेदक की मृत्यु की स्थिति में लाईसेन्स के बचे अवधि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारी के नाम से स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है ।

3. एस.टी.बी.ए टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि को 08.00 घंटे के शिफ्ट, जो भारतीय रेल पर लागू है यथा 08.00 बजे 16.00 बजे एवं 24.00 बजे कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के पास जमा कर देंगे।

4. अगर एस.टी.बी.ए की अनुपलब्धता के कारण या एस.टी.बी.ए के लापरवाही से उपकरण खराब होने के कारण टिकट जारी करने का कार्य रूक जाता है तो यू0टी0एस0 टिकट बिक्री से प्राप्त औसत दैनिक आय, प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जायेगा । यह दंडात्मक प्रभार न्यूनतम 2,000/-रूपया प्रतिदिन होगा। एस.टी.बी.ए के कामकाज के संबंध में स्थापित सार्वजनिक शिकायतों पर फिर से 500/-रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

5 एसटीबीए संविदा से होने वाले किसी अधिकार या दायित्व को किसी को सबलेट या स्थानांतरित नहीं करेंगे किन्तु वे अगर चाहें तो रेल अधिकारी के पुर्वानुमति से दूसरे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं इस बात का प्रावधान मानक एकरारनामा में होगा ।

6 एम.टी.बी.ए एवं टिकट बिक्री हेतु उनके द्वारा नामित व्यक्ति दोनों को संबंधित मंडल द्वारा एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जायेगा और उनके नाम को स्टेशन परिसर में रखे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

7 संवेदक की मृत्यु की स्थिति में लाईसेन्स के बचे अवधि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा उनके कानुनी उत्तराधिकारी को संवेदक पर लागू शर्तो के अधीन स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस.टी.बी.ए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी ।

एसटीबीए द्वारा अनारक्षित टिकटों की बिक्री से संबंधित समय का निर्धारण संबंधित रेलवे द्वारा स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए निर्धारित किया जायेगा ।

9 एस.टी.बी.ए सिर्फ कैश टिकट जारी करने के लिए ही अधिकृत होंगे । एस.टी.बी.ए संचालक को यू0टी0एस0 में सभी तरह के गैर रियायती अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट एवं सीजन टिकट सहित जारी करने की अनुमति होगी । सीजन टिकटों के नवीनीकरण की भी अनुमति होगी । एस.टी.बी.ए वरिष्ठ नागरिक से संबंधित रियायत टिकट भी जारी कर सकते है । अन्य सभी रियायत टिकट जिनमें टिकट जारी करने से पहले दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता है को तभी जारी कर सकते है जब वह संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा अनुमति एवं पृष्ठांकित हो ।

10 एस.टी.बी.ए को स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन द्वारा प्राधिकृत अथवा पृष्टांकित करने के पश्चात ही एनआई (नन इशूड) करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।

11 **टिकटों का रद्दीकरण:-** एस.टी.बी.ए को स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा प्राधिकृत अथवा पृष्ठांकित करने के पश्चात ही टिकटों का रद्दीकरण करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।

12 स्टेशन का रेलवे प्रभारी यथा स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर टिकट रौलों को सुरक्षित रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे और प्रतिदिन एस.टी.बी.ए से टिकट रौलों को लेना एवं उन्हें टिकट रौल देना, उनकी डियूटी होगी । एस.टी.बी.ए को जारी किये जाने वाले टिकट रौल का स्टेशन पर उचित अभिलेख रखा जायेगा ।

13 एस.टी.बी.ए द्वारा यू0टी0एस0 से लेन-देन (Transaction) का शिफट वाईज एवं प्रतिदिन का सारांश निकाला जायेगा और एस.टी.बी.ए प्रत्येक शिफ्ट/दिन के अंत में तदानुसार स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के पास रोकड़ जमा करेगा ।

14 एस.टी.बी.ए में चयनित व्यक्ति को रेल में रोजगार का कोई अधिकार नहीं देगी । यह चयन विशुद्ध रूप से ठेकेदारी है और उन्हें कोई सुविधा तथा रेल सेवा में नियुक्ति, सेवा का नियमन, बोनस, रेलवे पास की सुविधा इत्यादि देय नहीं होगी।

15 एस.टी.बी.ए का चयन प्रथम बार तीन वर्षो के लिए की जाएगी । उसके उपरांत अवधि विस्तार सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों एवं परिस्थितयों को देखते हुए किया जा सकता है ।

आवेदन का तरीका :-

उम्मीदवार मांगे कागज जिसके लिए वे योग्य हो, के लिए पूर्ण विवरण के साथ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, सोनपुर, पोस्ट-सोनपुर, जिला-सारण, पिन-841101 को आवेदन कर सकते हैं और यह आवेदन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, सोनपुर के कार्यालय में रखे बक्से में किसी भी कार्य दिवस को या बंद होने के पूर्व किसी भी तिथि को गिराया जा सकता है । आवेदनरजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा भी दिनांक 24.09.2026 को **12.00** बजे तक प्राप्त कराया जा सकता है । पोस्टल/कुरियर सेवा के किसी विलम्बन या कार्यालय में प्राप्त नहीं होने के लिए रेल प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा । आवेदन निम्न के अनुसार होना चाहिए :-

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट चयन हेतु आवेदन :-

क.सं.	आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज (आवेदक द्वारा भरे जाए/दिए जाएं)
1	एस.टी.बी.ए चयन हेतु निर्धारित आवश्यक प्रोफार्मा पर आवेदन (Annexure-I, पृष्ठ सं० 6)
2	पासपोर्ट साईज का (उम्मीदवार द्वारा स्वहस्ताक्षरित) दो फोटो जिसमें से एक आवेदन पर आवश्यक जगह पर चिपकाया जाए । दूसरा आवेदन के साथ संलग्न किया जाय ।
3	शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी अथवा जन्म तिथि प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
4	आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है । (पात्रता की शर्ते का पारा नं0 01 को देखें)।
5	चयनित अभ्यर्थी को अपने चरित्र के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जमा करना होगा। किसी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर इनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
6	NSG-6 हेतु 2000/-(दो हजार) एवं NSG-5 हेतु 5000/-(पाँच हजार) के अग्रधन राशि का विवरण (पात्रता की शर्ते का पारा नं0 3 को देखें)।
7	घोषणा पत्र (Annexure-II, पृष्ठ सं० 6) ।
8	रू0 2000/- (गैर वापसी योग्य) का निविदा दस्तावेज का कीमत (निविदा की अन्य शर्ते पारा नं0 5 देखें)।
9	सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति पर आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षर ।

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन दिनांक 24.09.2026 को 12:00 बजे या उसके पहले तक कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए । अगर अंतिम दिन जो 24.09.2026 है, को कोई अवकाश घोषित होती है तो आवेदन अगले कार्य दिवस में उसी समय तक प्राप्त किये जायेंगे । निविदा दिनांक 24.09.2026 को इच्छुक उम्मीदवारों की उपस्थिति में 12:30 बजे खोला जाएगा । निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में कोई विचार नहीं किया जायेगा । उपस्थित आवेदनों की जाँच के पश्चात उम्मीदवारों को चयन की तिथि या चयन समिति के सामने होने के संबंध में सूचित किया जायेगा । रेलवे प्रशासन बिना कारण बताये अधिसूचना को रद्द कर सकती है । अधिसूचना की जानकारी बेवसाईट पर भी उपलब्ध है : www.ecr.indianrailways.gov.in

नोट :-आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय (रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा)
दिनांक -24.09.2026 को 12:00 बजे तक ।

Annexure -I

FORMAT OF THE APPLICATION FOR STATION TICKET BOOKING AGENT (STBA)

AT--

---------------STATION.

(Write the name of station for which applied for)

1	Name of the Applicant (In block Letters .)	:	______________________
2	Sex (M/F)	:	-----------------------------
3	Date of Birth (with Proof)	:	-----------------------------
4	Educational Qualification (With Self attested copies of the certificate)	:	-----------------------------
5	Residential Address with Father's Name (Proof of Residential Certificate to be enclosed)	:	______________________
6	Phone no/ Mobile No.	:	....
7	Name of the Station where STBA is to be appointed	:	....
8	Declaration form to be attached for non appointment at any other station as STBA (Refer Para No. 04 of eligibility criteriya.)	:	....
9.	Details of Earnest Money deposited (Refer Para No. 03 of eligibility criteria)	:	....
10	Details of application cost (Refer para no. 05 of other term and condition of the tender)	:	....
11	Commission to be Quoted in percentage (in word and figure), (Refer para no. 07 of other terms and condition of the tender)		
	1. (In Figure)	:	-----------------------------
	2. (In Words)	:	-----------------------------

I undertake that in the event of any false or inaccurate information given above in any respect, the application / license shall be liable to be rejected/ cancelled at any time of the contract period.

I shall abide by all the terms and conditions of Station Ticket Booking Agent Scheme prescribed from time to time.

Full Signature of Applicant

Date -------------------

(STBA आवेदकों हेतु) स्व घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमनी ...., पिना/पनि ....,
निवामी ग्राम ...., पोस्ट ...., थाना
...., जिला ...., यह घोपणा
करना/करनी हूँ कि

- मैं वर्तमान में किमी अन्य स्टेशन पर Station Ticket Booking Agent (STBA) के रूप में चयनिन अथवा कार्यरन नहीं हूँ एवं किमी भी मरकारी/गैरमरकारी विभाग में कार्यरन नहीं हूँ ।
- मेरे द्वारा STBA चयन हेतु आवेदन पत्र में दी गई मभी मूचनाएँ मत्य हैं। कोई भी मूचना अमत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन कभी भी निरम्न कर दिया जाए, जिमकी पूर्ण जेम्मेदारी मेरा/मेरी होगा/होगी ।
- मैं यह घोपणा पूर्णनः स्वेच्छा मे एवं विना किमी दवाव के कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर.......................

आवेदक/आवेदिका का नाम एवं हस्ताक्षर : नाम ....

STBA हेतु स्टेशन का नाम :...

मोवाइल नं. : ....

दिनांक : ....